

संख्या-पी-179/81-2-2022-800(185)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी

३० प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 जून 2022

घिषय- रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि० लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-731 (पुराना एन० एच०-५६) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग किमी० 35 से 64 के मध्य बांयी पटरी तथा जिला मार्ग (बाराबंकी-जैदपुर-सिद्धौर-देवीगंज-भिटरिया मार्ग) के किमी० 33.788 से किमी० 43.788 तक बांयी पटरी पर कुल 39.00 किमी० पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हेठो संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/143114/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-3531/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/143114/2021 दिनांक 13.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्था के अंतर्गत रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि० लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-731 (पुराना एन० एच०-५६) लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग किमी० 35 से 64 के मध्य बांयी पटरी तथा जिला मार्ग (बाराबंकी-जैदपुर-सिद्धौर-देवीगंज-भिटरिया मार्ग) के किमी० 33.788 से किमी० 43.788 तक बांयी पटरी पर कुल 39.00 किमी० पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हेठो संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	Full exemption of NPV in case of laying of underground OFC cable provided no felling of trees is involved and area proposed for diversion is outside of Protected Area as per the MOEE&CC Guideline F.No.5-3/2007-FC dated 05/02/2009.
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
5	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
6	The out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
7	No labour camps shall be established on the forest land.
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in

	favour of the user agency or the project life, whichever is less.
10	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
11	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
12	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).
14	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
15	ओ ० एफ ० सी० केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्ग/सड़कों/वर्तमान (Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही विछाये जायेंगे। आस्टों डिटा लाइनों/वर्तमान लाइनों के
16	ओ ० एफ ० सी० केबिल/टेलीफोन लाइन विछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रैच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
17	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रैच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षण की सम्भावना न हो।
18	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
19	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
20	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
21	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।
22	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
23	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
24	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
25	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
26	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
27	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (Shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
28	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
29	बोर्ड अधिकारी, ३० प्र० द्वारा प्रत्येक माह की ५ तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
30	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
31	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक

	हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
32	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
33	उपरोक्तानुसार निर्णत सैद्धांतिक स्वीकृति की विन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
34	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्णत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी विन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Signed by आशीष तिवारी

भवदीय,

Date: 28-06-2022 12:31:21

(आशीष तिवारी)

Reason: Approved

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी सरयू वृत् अयोध्या।
- (3)- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- (4)- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बाराबंकी।
- (5)-प्रबन्धक रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिंग दूसरी मंजिल राणाप्रताप मार्ग नियर सिकन्दरबाग चौराहा लखनऊ।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
 (आर ० फौ० सिंह)  
 अनु सचिव  
 a